न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

दावा सं0––03/2022 (जीसीएमएस–2022/08)

प्रविष्टि दिनांक––20.01.2022

1. शोराम पुत्र (देव्या) जेला उर्फ जयलाल जाति बैरवा उम्र 53 वर्ष निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
~~2. किशना पुत्र (देव्या) जेला उर्फ जयलाल जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0~~
   2/1. लादूराम पुत्र किशना जाति बैरवा उम्र 31 वर्ष निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
   2/2. श्रवण कुमार पुत्र किशना जाति बैरवा उम्र 28 वर्ष निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
   2/3. सीता पुत्री किशना जाति बैरवा उम्र 37 वर्ष निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
   2/4. ममता पुत्री किशना जाति बैरवा उम्र 31 वर्ष निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
   2/5. सोना पुत्री किशना जाति बैरवा उम्र 29 वर्ष निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
   2/6. कमला देवी बेवा किशना जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

~~1. रामलाल पुत्र भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0~~
   1/1. रवि पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
   1/2. कान्ता बेवा रामलाल जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2. सूरज पुत्र भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3. धारा सिंह पुत्र भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4. राकेश पुत्र भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
5. गीता पुत्री भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
6. अनोख पुत्री भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
7. धन्नी पुत्री भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
8. रूकमा बेवा भैरू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज0
9. तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0
10. जरिये सरपंच ग्रा0पं0 चेनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रामकल्याण पुनिया – वकील वादीगण
श्री अशोक जैन – वकील प्रतिवादीगण
पेराकार सरकार– तहसीलदार निवाई की ओर से

निर्णय

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक : 12/1/26

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 258 खसरा नम्बर 21 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा खाता संख्या 257 खसरा नम्बर 13 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व खाता संख्या 256 खसरा नम्बर 235/3 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में वादीगण व प्रतिवादीगण के स्वयं व पूर्वजो के 2/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अंकित है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

बहिस्सा अनुसार काबिज काश्त होकर करते चले आ रहे है। जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्नानुसार है:–

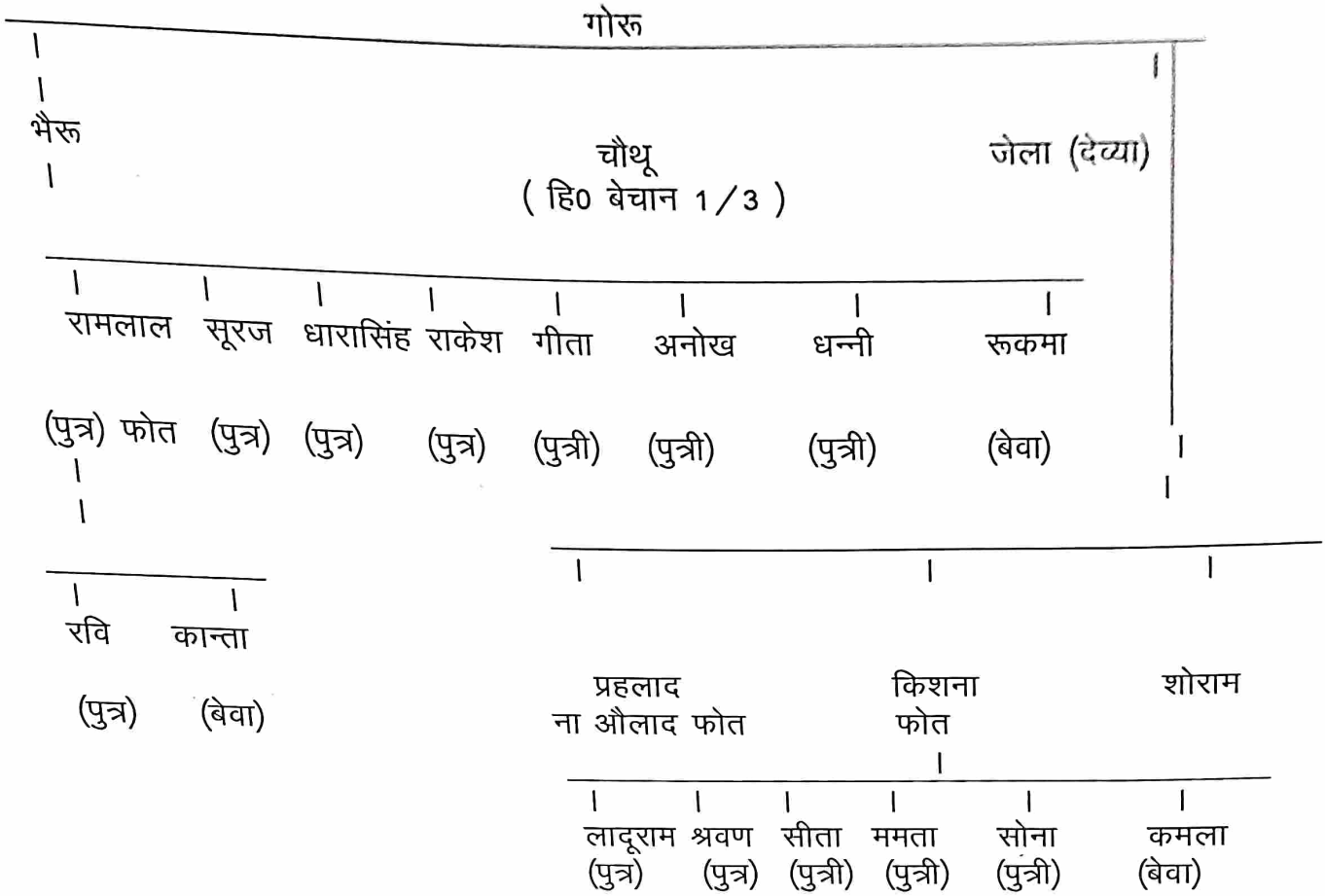

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज गौरू के फोत होने के प्श्चात फोती का नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 04.11.1978 को नामांतकरण भरकगर गिरदावर द्वारा जांच करवाकर ग्राम पंचायत चैनपुरा द्वारा दिनांक 20.12.1978 को उक्त नामांतकरण इस आशय का स्वीकार किया कि भैरू, चौथू पि0 गौरू हिस्सा 2/3 प्रहलाद किशना शोरामा पि0 देव्या व धापू बेवा देव्या हि0 1/3 नामान्तकरण उक्त कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भरकर स्वीकार किया गया लेकिन पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का तथा ग्राम पंचायत चैनपुरा के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आशय की जांच नहीं की गई कि प्रहलाद किशना शोरामा के पिता का वास्तवितक नाम क्या है बिना किसी जांच के ही सभी ने उक्त नामान्तकरण को भरकर वादीगण के पिता व दादा जेला उर्फ जयलाल के स्थान पर देव्या नाम लिखकर उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जबकि नामांतकरण पूर्व जांच होकर पिता का नाम वल्दीयत के रूप में सही भरा जाना चाहिए था। निर्वाचन नामावली सन् 1971 के अनुसार जेला के पिता का नाम गोरू व भैरू पुत्र गौरू व चौथू पुत्र गोरू के रूप में अंकित है। वर्तमान समय में जमाबन्दी में उक्त त्रूटी की वजह से खातेदारो के फोत होने के पश्चात भी नामान्तकरण नहीं खुल पा रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त देव्या के स्थान पर जेला उर्फ जयलाल राजस्व रिकॉर्ड में त्रूटि को सुधारते हुये दुरूस्ती किया जाना आवश्यक उचित एवं न्यायसंगत है।

उक्त खातेदारों में प्रहलाद की सन् 1984 में ही मृत्यू हो चुकी है जिसके किशना के वारिस व शोराम ही विधिक वारिसान है प्रहलाद ना–औलाद फोत हुआ था लेकिन उक्त पिता के नाम की त्रूटि की वजह से अब तक भी उक्त राजस्व रिकॉर्ड से प्रहलाद का नाम कम नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रहलाद का नाम कम किया जाकर उसके हिस्से को किशना के वारिसान व शोराम के लगाया जाना अर्थात उक्त हिस्से को घोषित किया जाना आवश्यक उचित एवं न्यायसंगत है। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी इस अमर की फरमायी जावे कि वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में देव्या के स्थान पर जेला उर्फ जयलाल की दुरूस्ती कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे साथ ही प्रहलाद ला–औलाद फोत होने की वजह से भी उसके हिस्से का वादी संख्या 01 व वादी संख्या 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर–बराबर हिस्सेदार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भांवता खाता संख्या 258, 257, 256, नामान्तकरण पंजिका ग्राम भांवता, जमाबन्दी खतोनी ग्राम भांवता सम्वत 2025 से 2029 आधार कार्ड की फोटो प्रति आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जैन के द्वारा स्वीकार्य/इकबाली जवाब दावा मय वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निवाई के पत्रांक 16047 दिनांक 25.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में देव्या के स्थान पर जेला उर्फ जयलाल की दुरूस्ती कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जाने एवं प्रहलाद ला–औलाद फोत होने की वजह से भी उसके हिस्से का वादी संख्या 01 व वादी संख्या 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर–बराबर हिस्सेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब का दोहरान करते हुए एवं पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट का दोहरान करते हुए वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में देव्या के स्थान पर जेला उर्फ जयलाल की दुरूस्ती किये जाने के आदेश पारित किये जाने पर सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं रिपोर्ट में संलग्न मौका पर्चा/सजरा के अवलोकन से वाद वर्णित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित देव्या के स्थान पर जेला उर्फ जयलाल की दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद वादीगण दुरूस्ती इन्द्राज की हद तक स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः वाद वादीगण दुरूस्ती इन्द्राज की हद तक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खाता संख्या 258 खसरा नम्बर 21 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा खाता संख्या 257 खसरा नम्बर 13 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व खाता संख्या 256 खसरा नम्बर 235/3 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित देव्या के स्थान पर जेला उर्फ जयलाल दुरूस्त किया जाकर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 12/1/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड (प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई